अ0शा0 परिपत्र संख्याः 66/2014

ए0एल0 बनर्जी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1–तिलक मार्ग, लखनऊ ।
दिनांकःलखनऊःअक्टूबर 17 ,2014

विषयः- मा0 राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग, नई दिल्ली एवं अन्य आयोगों द्वारा समय-समय पर बाल अधिकारों के सम्बन्ध में आप सभी को प्रेषित शिकायतों के समय से निस्तारण न किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि बच्चे भविष्य की अमूल्य धरोहर है तथा प्रत्येक देश का दायित्व है कि बच्चों के सर्वागीण विकास एवं सरुक्षा के लिए हर सम्भव प्रयास करें। सम्पूर्ण विश्व में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर निरन्तर कार्य किया जा रहा है तथा किशोर/किशोरियों के हर प्रकार के शोषण को रोकने के लिए प्रभावी प्रयास किये जा रहे है। भारत में भी Full & correct home का गठन किया गया है जो बाल अधिकारों के हनन के प्रकरणों में कार्यवाही करता है।

2. विगत में दिनांक 29.9.2014 को मा0 राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा आहूत गोष्ठी के दौरान बाल अधिकारों के संरक्षण के प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब किये जाने पर मा0 आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि किशोर/किशोरियों के विरूद्ध घटित अपराधों के सम्बन्ध में सूचनाएं या अभिलेख समयबद्ध ढंग से अग्रिम तिथि का उद्धरण देते हुए मॉगे जाते है, इस संबंध में त्वरित कार्यवाही नहीं की जाती है अथवा सरसरी तौर पर अधीनस्थों द्वारा बिना प्रकरण का गम्भीरता से परीक्षण किए आख्या भेज दी जाती है। मा0 आयोग द्वारा इस प्रकार की लापरवाही पर आपत्ति व्यक्त की गयी है।

3. बाल अधिकारो के प्रति संवेदनशील न होना समाज में पुलिस की छवि धूमिल करता है। बाल अधिकार संरक्षण के प्रति यह आवश्यक है कि मा0 आयोग द्वारा किशोर/किशोरियों के विरूद्ध घटित अपराधों के निस्तारण के सम्बन्ध में जो भी आदेश/निर्देश दिये जाते है उनका गम्भीरता से अध्ययनकर निर्धारित अग्रिम तिथि से पूर्व प्रत्येक दशा में उसका उत्तर तथा मॉगी गयी समस्त सूचनायें आदि भेजना सुनिश्चित करें साथ ही बाल न्यायिक प्रक्रिया में सम्मिलित सभी लोग परस्पर निष्ठा एवं लगन से कार्य करें तथा उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी आदेश के अनुपालन में कोई कठिनाई हो रही हो, तो अपने उच्चाधिकारियों से इस संबंध में मार्ग दर्शन प्राप्त कर बाल अपराधों के प्रकरणों का निस्तारण समय से सुनिश्चित करें, ताकि मा0 आयोग के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न न हो।

4. अतः मैं चाहूँगा कि मा0 राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग, नई दिल्ली एवं अन्य आयोगों द्वारा बाल अधिकारों के प्रति घटित अपराधों के निस्तारण के सम्बन्ध में भविष्य में जो भी आदेश/निर्देश प्राप्त होते है उसका समय से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(ए0एल0 बनर्जी)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/
प्रभारी जनपद/रेलवेज (नाम से),
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन, उ0प्र0 ।
4. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उ0प्र0।